UPAU010010302026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
पीठासीन अधिकारी– विकास गोस्वामी (एच 0 जे0 एस 0) JO Code UP 2393

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–370/2026

1. रोहित सिंह उर्फ रोहित चौहान पुत्र राधारमण,
2. सतीश सिंह उर्फ हथौड़ा पुत्र अर्जुन सिंह,
3. अनुराग चौहान उर्फ अभि पुत्र सोहन सिंह,
4. वीरू सिंह उर्फ वीरू चौहान पुत्र राधारमण,

निवासीगण पाता, थाना फफूँद, जिला औरैया।

..... **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र वाद संख्या–13/2026
मुकदमा अपराध संख्या–398/2025
धारा–115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023
व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(v ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना–फफूँद, जिला औरैया।

दिनांक 08.04.2026

01. अभियुक्तगण रोहित सिंह उर्फ रोहित चौहान, सतीश सिंह उर्फ हथौड़ा, अनुराग चौहान उर्फ अभि एवं वीरू सिंह उर्फ वीरू चौहान की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभियुक्तगण विशेष सत्र वाद संख्या–13/2026, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–398/2025, धारा–115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(v ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–फफूँद, जिला औरैया से संबंधित हैं तथा न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अवधेश सिंह ने थाना फफूँद में इन तथ्यों से युक्त तहरीर दी कि मैं अवधेश सिंह पुत्र श्री कुन्जीलाल ग्राम–वन का पुर्वा पो–पाता थाना फफूँद जिला औरेया का मूल निवासी हूँ। आप को सूचित करना चाहते है आज शाम 5.10 बजे दिनांक 19.10.2025 को पाता बाजार सब्जी खरीदने गया था मैं अपनी मोटर

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.04.08 16:14:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साइकिल खडी करके ज्यो ही गाडी से उतरा वैसे ही वहाँ बैठे रोहित चौहान पुत्र रामू दूधिया उर्फ राधारमण बोला यहाँ पर गाडी खडी करने की जगह सिर्फ मेरे लिये है। तुम मादरचोद, फोसडी गाडी खडी क्यो कि यहाँ पर गाडी खडी करने के लिये सिर्फ मेरे लोगो के लिये है मादरचोद चमारों के लिये नहीं है वहुत सी अभद्र भाषा का प्रयोग किया मैने इसको मना किया तो उसने अपने भाई दीपक चौहान को फोन करके बुलवाया उसके भाई के साथ कम से कम दस लडके और भी आटो और सभी लड़के गाली गलौज करने लगे तुम चमारो की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से बहस करने की और मार शुरु कर दी। मेरे बचाव मे गाँव के दो लडके मौजूद थे। उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी मारपीट करने के बाद किसी मौजूद लोगो ने वीडियो भी बनाया जो कि मेरे पास है। अतः आपसे विनम निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ठोस कार्यवाही करने की कृपा करे। मेरे द्वारा पहली सूचना 100 नम्बर पर दी थी। पन्द्रह मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुँची जिससे मेरी टूटी हुयी गाडी 100 नम्बर के द्वारा दिलाई गई गाडी नम्बर UP79R7997 है। जो कि चौकी पर खडी करा दी गई है। मारपीट करने वाले लडको के नाम– 1. रोहित चौहान S/O रामू दूधिया (राधारमण) 2. दीपक चौहान S/O रामू दूधिया (राधारमण) 3. सतीश उर्फ हथौडा S/O अर्जुन सिंह 4. अभि चौहान S/O सोने लाल व इनके दस से बारह लोग लडाई में मौजूद थे।

03. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उक्त मामले में झूठा आरोपित किया गया है। अभियोजन पक्ष का कथानक असत्य व निराधार है, प्रार्थीगण के खिलाफ कोई समुचित साक्ष्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोपित धारायें जमानतीय प्रकृति की है जिसमें अधिकतम दण्डावधि 7 वर्ष से कम है। प्रार्थीगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नही किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर व उसके बयानो व गवाहो के बयानो में घोर विरोधाभाष है। प्रार्थीगण ने किसी तरह की कोई मारपीट, गाली गलौज व जाति सूचक गालियां नहीं दी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर में जातिसूचक गाली–गलौज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में किसी स्वतन्त्र साक्षी का होना वर्णित नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व विवेचक द्वारा एकत्रित की गयी साक्ष्य आपस में विरोधाभाषी है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के विलम्ब से अंकित कराई गई है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। रज कठेरिया पुत्र साहूकार निवासी– ग्राम पाता का विवाद दिनांक 19.10.2025 को जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र सुग्रीव निवासी शहनगरा के साथ हो गया था। सूरज की मोटर साइकिल पाता बाजार में जितेन्द्र कुमार की मोटर साइकिल से टच हो गयी थी। रोहित चौहान, सूरज कठेरिया के साथ मोटर साइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। मोटर साइकिल छूने पर जितेन्द्र ने रोहित चौहान को तमाचा मार दिया। वादी मुकदमा अवधेश सिंह, जितेन्द्र का करीबी है व मित्र है तथा उसी गाँव का है जिस कारण जितेन्द्र ने अवधेश के माध्यम से यह मुकदमा झूठा पंजीकृत करवा दिया है। प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी विधि व्यवस्था शकीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वस्टीगेशन के प्रावधानों के अनुरूप यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण पर्याप्त प्रतिभू दाखिल करने को तत्पर है तथा दौरान विचारण मुकदमा हाजिर अदालत आता रहेगे। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

04. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का

सम्यक् परिशीलन किया।

05. प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा पर धारा 15ए की उपधारा 3 के अन्तर्गत जारी नोटिस तामील है। वादी मुकदमा न्यायालय में मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

07. पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० SLP (Cr. Appeal NO. 5190/2021) निर्णीत दिनांकित 11.07.2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रोहित सिंह उर्फ रोहित चौहान, सतीश सिंह उर्फ हथौड़ा, अनुराग चौहान उर्फ अभि एवं वीरू सिंह उर्फ वीरू चौहान की तरफ से विशेष सत्र वाद संख्या–13/2026, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–398/2025, धारा–115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(vए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–फफूँद, जिला औरैया में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 370/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025: AHC: 136034 में पारित निर्णय दिनांकित 12.08.2025** में वर्णित निर्देशों के आलोक में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, प्रत्येक के द्वारा पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 08.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393